प्रेस नोट–93 / 2026
दिनांक 12.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

प्रदेश में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान में एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई

- **एएनटीएफ द्वारा मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्यवाही, अभियान को मिल रही लगातार सफलता**
- **चार अलग-अलग यूनिटो द्वारा 07 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **07.140 किग्रा अफीम व 514.745 किग्रा गांजा सहित कुल अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 03 करोड़ रूपये के अवैध मादक पदार्थ बरामद**

मा० मुख्यमंत्री उ०प्र० श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश को नशामुक्त बनाने हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में **पुलिस महानिदेशक उ०प्र० श्री राजीव कृष्ण** द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों, गिरोहों एवं संगठित नेटवर्क के विरुद्ध प्रभावी, सुनियोजित एवं समन्वित अभियान चलाकर कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित किये जाने तथा मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े नेटवर्क की फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज की गहन जांच कर आपूर्ति श्रृंखला को जड़ से समाप्त कर अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर आवश्यक विधिक कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त निर्देशों के क्रम में **अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, उ0प्र0 लखनऊ** के मार्गदर्शन एवं **पुलिस महानिरीक्षक एएनटीएफ लखनऊ** के निर्देशन में दिनांक 11.02.2026 की रात्रि में चलाये गये समन्वित अभियान में एएनटीएफ थाना सहारनपुर, एएनटीएफ यूनिट बरेली, एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट आगरा द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए **चार प्रकरणों में 07 अवैध मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार** कर उनके कब्जे/निशादेही से **07 किलो 140 ग्राम अवैध अफीम, 514.745 किग्रा अवैध गांजा, 01 स्वराज ट्रैक्टर, 01 कार, 04 मोटरसाइकिल, 07 मोबाइल फोन (एंड्रॉयड सहित), 4,900 रूपये नगद** बरामद हुए। अवैध मादक पदार्थों की **कुल अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 03 करोड़ रूपये** है।

एण्टी नारकोटिक्स टास्क के गठन से लेकर अब तक कुल **361 अभियोगों में 1003 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर, उनके कब्जे से **13.740 किग्रा0 मार्फीन**, **63.273 किग्रा0 हेरोइन/स्मैक**, **220.700 किग्रा0 चरस, 211.100 किग्रा0 अफीम, 15096.113 किग्रा0 डोडा पोस्त, 22351.765 किग्रा0 गांजा, 2.074 किग्रा0 कोकीन एवं 6.700 किग्रामं0 एम0डी0एम0ए0** बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गयी, जिसकी अनुमानित **अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 381 करोड़ 70 लाख 72 हजार 500 रुपये** है।

<u>दिनांक 11.02.2026 की रात्रि में चलाये गये समन्वित अभियान में कार्यवाही का विवरणः-</u>

1-ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर द्वारा दिनांक 11.02.2026 को पुलिस चौकी मऊखास, थाना मुण्डाली जनपद मेरठ के सामने से 03 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 03 किलो 140 ग्राम अवैध अफीम (अनुमानित कीमत लगभग 16 लाख रुपये), 01 मोटरसाइकिल, 03 मोबाइल फोन एवं 900 रुपये नगद बरामद हुए। इस सम्बन्ध में थाना मुण्डाली पर मु0अ0सं0 41/26 धारा 8/18/29/60 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. विजेन्द्र पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम तिगाई दत्तनगर थाना अलीगंज जनपद बरेली।
2. खुन्नीलाल पुत्र वेदराम निवासी ग्राम धनैती खरगपुर थाना अलीगंज जनपद बरेली।
3. मानसिंह पुत्र कचंनलाल निवासी ग्राम धनैती खरगपुर थाना अलीगंज जनपद बरेली।

2-एएनटीएफ यूनिट बरेली द्वारा दिनांक 12.02.2026 को थाना सुभाषनगर क्षेत्र में 01 सक्रिय मादक पदार्थ तस्कर वीरेंद्र (निवासी जनपद बरेली) को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 04 किलोग्राम अवैध अफीम (अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपये), 01 मोबाइल फोन एवं 3,400 रुपये नगद बरामद हुए। इस संबंध में थाना सुभाषनगर, जनपद बरेली पर मु0अ0सं0 86/2026 धारा 8/18/29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-वीरेंद्र पुत्र मूलचंद निवसी ग्राम बरसेर थाना सिरौली जनपद बरेली।

3-एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट आगरा व जनपद अलीगढ़ की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 12.02.2026 को थाना इगलास, जनपद अलीगढ़ क्षेत्र से 01 सक्रिय मादक पदार्थ तस्कर पुष्पेंद्र (निवासी ग्राम सिकुर्रा) को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 490.745 किग्रा अवैध गांजा (अनुमानित कीमत लगभग 2.50 करोड़ रुपये), 01 स्वराज ट्रैक्टर, 01 कार, 03 मोटरसाइकिल एवं 01 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इस संबंध में थाना इगलास पर मु0अ0सं0 62/2026 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-पुष्पेंद्र पुत्र बच्चू सिंह निवासी ग्राम सिकुर्रा थाना इगलास जनपद अलीगढ़।

4-एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट आगरा द्वारा 02 सक्रिय मादक पदार्थ तस्करों—मनोज कुमार एवं जाकिर (निवासी जनपद अलीगढ़) को दिनांक 12.02.2026 को थाना ट्रांसयमुना, कमिश्नरेट आगरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 24 किग्रा अवैध गांजा (अनुमानित कीमत लगभग 12 लाख रुपये), 02 एंड्रॉयड मोबाइल फोन एवं 600 रुपये नगद बरामद किए गए। इस संबंध में थाना ट्रांसयमुना पर मु0अ0सं0 39/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- मनोज कुमार पुत्र रामपाल सिंह निवासी मोहकमपुर धुनई पोस्ट लोधा थाना लोधा जनपद अलीगढ।

2- जाकिर पुत्र सफी मोहम्मदपुर ग्राम जलालपुर थाना रोराबर जनपद अलीगढ।

थाना मुण्डाली जनपद मेरठ
मो0. न0. : 9454403989
RR KABEL
WIRES & CABLES
SWITCHES
SWITCHGEARS
FANS • LIGHTING
APPLIANCES
कार्यालय

महिला
हैल्प डेस्क
ऑपरेशन डेस्ट्राय

प्रेस नोट–94/2026
दिनांक 12.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सहारनपुर/थाना कोतवाली देहात

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 11.02.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर देवला बाईपास पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त महताब घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 20 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–महताब निवासी ग्राम सलेमपुर भूखण्डी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बाराबंकी/थाना जहांगीराबाद

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 10 हजार 200 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 12.02.2026 को थाना जहांगीराबाद व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बहादुरपुर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त विनोद कुमार उर्फ आशू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 10 हजार 200 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना जहांगीराबाद पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बाराबंकी, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर डकैती, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जहांगीराबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विनोद कुमार उर्फ आशू निवासी ग्राम सरैया बाजार थाना बक्शी का तालाब, लखनऊ हालपता–टाला थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–लूट के 10 हजार 200 रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद श्रावस्ती/थाना इकौना

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **25 हजार रूपये नगद**
- **चोरी करने के उपकरण**
- **मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 11/12.02.2026 की रात्रि थाना इकौना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोहनीपुर चौराहा से कैलाशपुर मार्ग हाइवे मोड़ के पास पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1–रामप्रकाश उर्फ प्रकाश घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–राजू 3–रामचन्दर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण, 25 हजार रूपये नगद, चोरी करने के उपकरण, मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त रामप्रकाश उर्फ प्रकाश के विरूद्ध जनपद श्रावस्ती, सीतापुर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, गैगेस्टर एक्ट आदि के लगभग 02 दर्जन अभियोग, अभियुक्त राजू के विरूद्ध श्रावस्ती, सीतापुर के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त रामचन्दर के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना इकौना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामप्रकाश उर्फ प्रकाश निवासी ग्वारी थाना थानगांव जनपद सीतापुर।

2–राजू निवासी ग्वारी थाना थानगांव जनपद सीतापुर।

3–रामचन्दर निवासी ग्वारी थाना थानगांव जनपद सीतापुर।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–25 हजार रूपये नगद।

3–चोरी करने के उपकरण।

4–मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि ।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना चोपन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास की सजा व 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना चोपन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 65(1) बीएनएस व 5जे(2)/6, 5एन/6 पांक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रमेश को आजीवन कठोर कारावास व 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 02 करोड़ 60 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस ने अभियुक्त 1–अनूप यादव पुत्र दिनेश यादव 2–सतीश पुत्र रामभजन 3–शोलू उर्फ सोनू उर्फ विरेन्द्र यादव निवासीगण हरसेवकपुर नं0–2 टोला दहला थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 02 करोड़ 60 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

———————